

भारत में अवरगीकृत वन

प्रलिस के लयि:

[अवरगीकृत वन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वन \(संरक्षण\) अधनियम संशोधन \(FCAA\) 2023, वन अधिकार अधनियम, 2006](#)

मेन्स के लयि:

FCCA (2023) के नहितार्थ, अवरगीकृत वनों की सुरक्षा में प्रवर्तन तंत्र

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वभिन्नराज्य विशेषज्ञ समिति (State Expert Committee- SEC) की रपिर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है।

- यह अंतरमि आदेश एक जनहति याचिका का प्रतयुत्तर था जसिमें [वन \(संरक्षण\) अधनियम संशोधन \(FCAA\), 2023](#) की संवैधानकता को चुनौती दी गई थी।
- दायर की गई याचिका [अवरगीकृत वनों की स्थिति](#) का ज्ञात न होने अथवा उनकी पहचान की पुष्टि से संबंधति प्रश्नों पर आधारति थी, जनिकी पहचान राज्य SEC रपिर्टों द्वारा की जानी थी।

SEC की रपिर्ट द्वारा ज्ञात तथ्य:

■ प्रमुख बद्दि:

- कसिी भी राज्य ने अवरगीकृत वनों की पहचान, स्थिति और स्थान पर सत्यापन योग्य डेटा प्रदान नहीं कयि।
 - सात राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों (गोवा, हरयाणा, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमलिनाडु एवं पश्चमि बंगाल) ने **SEC का गठन भी नहीं कयि।**
- 23 में से केवल 17 राज्यों ने उच्च न्यायालय के नरिदेशों के अनुरूप रपिर्ट प्रस्तुत की।
- **अधकिंश** राज्य क्षेत्रीय स्तर पर या भौतिक सर्वेक्षण कयि बनिा वन और राजस्व वभिगों के **मौजूदा आंकडों पर वशिवास** करते हैं तथा अधकिंश में अवरगीकृत वन भूमिका सीमांकन नहीं कयि गया है।
 - इन वनों की भौगोलकि स्थिति और वर्गीकरण पर स्पष्टता का अभाव है।
- कई राज्यों की रपिर्टों में **भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI)** के आंकडों के साथ महत्त्वपूर्ण वसिंगतयिों की गई।
 - उदाहरण के लयि, **गुजरात की राज्य विशेषज्ञ समिति रपिर्ट** में 192.24 वर्ग कमी के अवरगीकृत वनों का उल्लेख कयि, जबकि FSI ने 4,577 वर्ग कमी. की सूचना दी।
 - इसी प्रकार असम, जहाँ SEC रपिर्ट में अवरगीकृत वन क्षेत्र की सीमा 5,893.99 वर्ग कमी. बताई गई है, जबकि FSI ने 8,532 वर्ग कमी बताई है।
- **केवल नौ राज्यों ने अवरगीकृत वनों की सूचना प्रदान की**, जबकि अन्य राज्यों ने वभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों पर स्पष्ट डेटा साझा नहीं कयि है।
 - कुछ राज्यों ने नष्ट हुये, साफ कयि गये तथा अतिक्रमति वनों का वविरण दयिा है, परंतु भन्न-भन्न रपिर्टों में यह वविरण भन्न-भन्न है।
- उपलब्ध रकिॉर्ड से डेटा नकालने और वनों की भौगोलकि स्थिति के संबंध में स्पष्टता की कमी है, तथा इनके पास **कोर्डोपो शीट पहचान मानचतिर** (कसिी क्षेत्र की प्राकृतकि और मानव नरिमति वशिषताओं को दर्शाने वाला मानचतिर) **उपलब्ध नहीं है।**

■ परणाम:

- SEC रपिर्ट की शीघ्र एवं अपूर्ण प्रकृति के कारण **अवरगीकृत वनों का बडे स्तर पर वनिाश** होने की संभावना है।
 - उदाहरण के लयि, **करल के SEC** में **मुन्नार** में **पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील क्षेत्र, पल्लीवासल अनारक्षति**

क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, जो 2018 की बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था।

- यह रपिपोर्ट, मुन्नार के एक प्रसिद्ध हाथी गलियारे, चिन्नाकनाल का उल्लेख करने में भी असफल रही, जो अब अति वाणजियिक पर्यटन के कारण समाप्त हो गया है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष के कई उदाहरण सामने आए हैं।
- इन वनों की व्यापक रूप से पहचान करने और उनकी सुरक्षा करने में वफिलता 1996 के गोदावर्नन फैसले तथा भारतीय वन नीतिके मैदानी इलाकों में 33.3% एवं पहाड़ियों में 66.6% वन क्षेत्र प्राप्त करने के लक्ष्य को कमजोर करती है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की 2021 की रपिपोर्ट देश में कुल मिलाकर 21% वन क्षेत्र (जिस पर वशिषज्जों ने विवाद किया है) और पहाड़ियों में 40% दर्शाती है। सर्वेक्षण की समीक्षा के अंतिम चक्र में लगभग 900 वर्ग कमी. का नुकसान हुआ है।

अवर्गीकृत वन क्या हैं?

■ वधिक संरक्षण:

- अवर्गीकृत वन, जिनमें 'मानति वन' के रूप में भी जाना जाता है, को टी.एन.गोदावर्नन थरिमुल्पाद बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1996) ऐतिहासिक मामले के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

■ परभाषा:

- इनमें वभिन्न प्रकार की भूमि सम्मिलित है, जिनमें वन, राजस्व, रेलवे, सरकारी संस्थाएँ, सामुदायिक वन या नज्जी स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।
- इनके विधि स्वामित्व के बावजूद, इन वनों को आधिकारिक तौर पर भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, हालाँकि, इस क्षेत्र में वन प्रकार की वनस्पति मौजूद है।

■ अभनिरिधारण प्रक्रिया:

- राज्य वशिषज्ज समितियों (SECS) को देश भर में अवर्गीकृत वनों का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया था।
 - इस निर्धारण में वन कार्य योजनाओं तथा राजस्व भूमिरिकॉर्ड जैसे उपलब्ध आँकड़ों की जाँच करना, साथ ही वन जैसी वशिषताओं वाले भूमि क्षेत्र की भौतिक पहचान करना शामिल था।

■ FCAA के नहितारत:

- वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023, जो दसंबर, 2023 में लागू हुआ, ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) में महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत किये।
- इस संशोधन ने FCA के कवरेज को दो प्रकार की भूमि तक सीमित कर दिया:
 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य प्रासंगिक कानून के तहत आधिकारिक तौर पर वन के रूप में घोषित या अधिसूचित क्षेत्र।
 - 25 अक्टूबर, 1980 से सरकारी अभिलेखों में वन क्षेत्र के रूप में दर्ज की गई भूमि।
- FCAA, 2023 ने अवर्गीकृत वनों के लिये कानूनी सुरक्षा के नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे संभावित रूप से उन्हें गैर-वन उपयोग के लिये परिवर्तित किया गया।
- FCAA के तहत, अवर्गीकृत वनों को किसी भी परिवर्तन के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी, भले ही आधिकारिक तौर पर अधिसूचित न किया गया हो।

■ चुनौतियाँ:

- कानूनी संरक्षण:
 - वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ, अवर्गीकृत वनों को अपनी कानूनी सुरक्षा खोने का जोखिम है, जिससे उन्हें गैर-वन उपयोग के लिये परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- वन में नवास करने वाले समुदायों पर प्रभाव:
 - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन 'मानति वनों' को मान्यता देने में संशोधन अधिनियम की वफिलता वन-नवास समुदायों के अधिकारों को कमजोर करती है।
 - 'मानति वन' के रूप में वर्गीकृत वन भूमि को ग्राम सभाओं की सहमति के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
- पर्यावरण और पारस्थितिक चिंताएँ:
 - कानूनी स्थिति पर आधारित अधिनियमों में उल्लिखित वनों की सीमित परभाषा इसके पारस्थितिक महत्त्व को नज़रअंदाज़ करती है, जिससे अवर्गीकृत वन क्षेत्रों में संभावित रूप से कमी और जैवविविधता की हानि होती है।

टी.एन. गोदावर्नन थरिमुल्पाद बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 1996

- वर्ष 1995 में टी.एन. गोदावर्नन थरिमुल्पाद ने नीलगरी वन भूमि को अवैध वनों की कटाई से बचाने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।
- न्यायालय ने वनों के सतत उपयोग के लिये वसितुत नरिदेश जारी किये और इस बात पर ज़ोर दिया कसि स्वामित्व की परवाह किये बिना, वन के रूप में परभाषित कोई भी क्षेत्र, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन होगा।
 - इस नई व्याख्या ने राज्यों को बिना अनुमति के संरक्षित वनों को गैर-वानकी उपयोग के लिये आरक्षित करने से रोक दिया।
- मुख्य नरिदेशों में से एक यह था कि पूरे देश में सभी वन गतिविधियाँ केंद्र सरकार की वशिषिट मंजूरी के बिना भी बंद की जानी चाहिये।

आगे की राह

- अवर्गीकृत वनों सहित सभी प्रकार के वनों की रक्षा के लिये टी.एन. गोदावर्मन थरिमुल्कपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1996 के नरिणय का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- अवर्गीकृत वनों की सटीक पहचान एवं मानचित्रण के लिये भौतिक सर्वेक्षण और जमीनी सच्चाई को अनविार्य करने की आवश्यकता है।
 - कर्ॉस सत्यापन और अद्यतन रिकॉर्ड के माध्यम से SEC रिपोर्ट एवं FSI डेटा के बीच वसिंगतियों को दूर करना।
- उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये दंड लागू अकरने की आवश्यकता है जो SEC का गठन करने या अवर्गीकृत वनों पर सटीक डेटा प्रदान करने में वफिल रहते हैं।
- इन लक्ष्यों की दशा में प्रगत पर नज़र रखने और आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करने के लिये एक मज़बूत नगिरानी तंत्र स्थापति करने की आवश्यकता है।

?????? ???? ????:

प्रश्न. भारत में अवर्गीकृत वनों की सुरक्षा और प्रबंधन पर वन (संरक्षण) संशोधन अधनियम, 2023 के नहितार्थों का आलोचनात्मक वश्लेषण कीजिय।

और पढ़ें: [भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वन \(संरक्षण\) अधनियम संशोधन \(FCAA\) 2023, वन संरक्षण संशोधन वधियक 2023, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच](#)

UPSC सविल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिय: (2019)

1. भारतीय वन अधनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन नविसियों को वनक्षेत्रों में उगाने वाले बाँस को काट गरिने का अधकिार है।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियम, 2006 वन नविसियों को गौण वनोपज के स्वामतिव की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नविसी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभकिरण है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत का एक वशिष राज्य नमिनलखिति वशिषताओं से युक्त है: (2012)

1. यह उसी अक्षांश पर स्थति है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है।
2. इसका 80% से अधकि क्षेत्र वनाच्छादति है।
3. 12% से अधकि वन क्षेत्र इस राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।

नमिनलखिति राज्यों में से कौन-सा एक उपर्युक्त दी गई वशिषताओं से युक्त है?

- (a) अरुणाचल प्रदेश
- (b) असम
- (c) हमिचल प्रदेश

(d) उत्तराखंड

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण है।" सुसंगत वाद वधियों की सहायता से इस कथन की वविचना कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unclassed-forests-in-india>

